कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ, (उत्तर प्रदेश)।

पत्रांक 2427/एनआरईजीएस सेल– /2009 दिनांक जनवरी, 22 2009

विज्ञप्ति

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (ए0पी0ओ0), तकनीकी सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री आपरेटर, एकाउन्ट असिस्टेट की सेवाएं सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु संस्थाओं का चयन निविदा के माध्यम से किया जाना है। इच्छुक संस्थाओं द्वारा टेक्निकल एवं फाईनेन्शियल बिड दिनांक 31–01–2009 तक संयुक्त विकास आयुक्त के कार्यालय निकट बच्चापार्क, बिजलीघर के सामने खैरनगर रोड, मेरठ शहर को डाक अथवा स्वतः (By hand) उपलब्ध करायी जा सकती हैं। संस्था के चयन हेतु अर्हता निम्नानुसार निर्धारित है :–

1– सेवा प्रदाता के लिए कम्पनी एक्ट एवं रजिस्ट्रेशन सर्विस एक्ट के रूप में तीन वर्ष से पंजीकृत होना आवश्यक हेागा। तीन वर्षो की अवधि 30.11.2008 तक पूर्ण होना आवश्यक है।

2– सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा कम्पनी के टर्न ओवर का स्पष्ट उल्लेख अपने प्रस्ताव में करना होगा।

3– सेवा प्रदाता कम्पनी के लिए आयकरदाता होना अनिवार्य होगा।

4– सेवा प्रदाता कम्पनी के लिए सरकारी विभाग, संस्थाओं, निगमों व प्रतिष्ठित निजी प्रतिष्ठानों को मैन पावर सप्लाई करने का 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।

5– सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा कम से कम 02 Immediately preceding वर्षों की ऑडिटेड बैलेंस शीट दिया जाना अनिवार्य होगा।

6– कम्पनी द्वारा किसी राजकीय या अन्य विभाग में काली सूची में न होने का प्रमाण हलफनामें के रूप में दिया जायेगा।

7– कम्पनी के लिए चयन की स्थिति में यह अनिवार्य होगा कि वह 21 दिन के अन्दर कम से कम 60 प्रतिशत स्टाफ की सेवाएं उपलब्ध करा दें एवं शेष 40 प्रतिशत की सेवाएं अगले 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराये।

8– कम्पनी द्वारा जिन कर्मिकों की सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी उनके मानदेय का भुगतान मुख्य विकास अधिकारी/ग्राम्य विकास विभाग से धनराशि प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर संबंधित कार्मिकों को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा।

9– सेवा प्रदाता द्वारा अवैधानिक रूप से कर्मी के मानदेय से कटौती करने का अधिकार नहीं होगा।

10– ए0पी0ओ0 व शेष कार्मिकों की सेवा के लिए अलग–2 सेवा प्रदाताओं का चयन किया जा सकता है।

11– सेवा प्रदाता के लिए आवश्यक होगा कि वह मण्डलीय मुख्यालय में कार्यालय स्थापित करें ताकि दिन प्रतिदिन का समन्वय व सम्पर्क रखा जा सके। यदि आवेदन देने के समय तक सेवा प्रदाता का कार्यालय मण्डल में न भी स्थित हो तो उसके लिए आवश्यक होगा कि निविदा स्वीकार किये जाने केएक माह के अन्दर वह एक कार्यालय स्थापित कर लें। ऐसा न करने पर उसके अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है।

12– निविदाएं दो भागों में जमा की जायेगी। एक लिफाफा तकनीकी अर्हता के बारे में होगा तथा दूसरा वित्तीय निविदा होगी। निविदा आमंत्रित करने के अन्तिम दिन पहले तकनीकी अर्हता का लिफाफा खोला जायेगा एवं ऐसी कम्पनियां जो समस्त शर्तो को पूरा करती हों केवल उनके वित्तीय बिड द्वितीय चरण में खोले जायेंगे।

13– निविदा दाता कम्पनियों में से कम्पनी का चयन सर्विस चार्ज की धनराशि के आधार पर होना प्रत्येक पद के सापेक्ष सबसे कम सर्विस चार्ज की धनराशि मांगने वाले सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा।

14– मण्डल के अन्तर्गत जनपदों में पदों का विवरण निम्नानुसार होगा :–
अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (ए0पी0ओ0)–58, तकनीकी सहायक–449, कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर–46 एवं एकाउन्ट असिस्टेंट–46 पद। पदों की यह संख्या सांकेतिक है, जो जनपदों की आवश्यकतानुसार घट–बढ सकती है।

15– 1– टेक्निकल एवं फाईनेंशियल बिडस प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31–01–2009
2– टैक्निकल बिडस खोलने की तिथि – 02–02–2009
3– टैक्निकली क्वालिफाईड संस्थाओं की फाईनेंन्शियल बिडस खोलने की तिथि 04–02–2009

16– तत्पश्चात चयन समिति वित्तीय निविदा के संबंध में निर्णय लेगी। अव्यवहारिकता की स्थिति को छोडते हुए सामान्य तौर पर न्यूनतम बिड को ही स्वीकार किया जायेगा।

17 सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिकों की उपलब्धता करते समय न्यूनतम अर्हता तथा प्राथमिकता का ध्यान रखा जायेगा। जिसका विवरण अधिसूचना दिनांक 23.10.2008 में उपलब्ध है।

19– सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं के संबंध में शासन की अधिसूचना संख्या–2555/38–7–08–10 एनआरईजीएस/2005 दिनांक 23.10.2008 की प्रति ग्राम्य विकास विभाग की वेबसाइट –rd.up.nic.in पर उपलब्ध है।

नोट :– विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से (दूरभाष सं0 0121-- 2420845) प्राप्त की जा सकती है।

DIO, NIC
कृपया इस विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
23/1/09

संयुक्त विकास आयुक्त
मेरठ

आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।